

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

(संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रपत्र)

1. मैं, प्रमाणित करता/ करती हूँ कि निम्न उल्लिखित बच्चे जिनके संबंध में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, वे पूर्णतया मुझ पर निर्भर हैं

I, certify that the children mentioned below in respect of whom reimbursement of Tuition Fee is claimed are wholly dependent on me:-

बच्चों का नाम Name of children	जन्म की तारीख Date of birth	विद्यालय का नाम School in which studying	कक्षा Class	शिक्षण शुल्क वास्तव में भुगतान किया Monthly Tuition fee actually payable	शिक्षण शुल्क वास्तव में भुगतान किया अवधि Tuition fee actually paid from	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि Amount of reimbursement claimed

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का भुगतान वास्तव में मेरे द्वारा किया गया था (नकद रसीद/ईसीएस/बैंक क्रेडिट वाउचर का काउंटर फॉइल प्रारंभिक दावे के साथ संलग्न किया जाना है)।

certified that the tuition fee reimbursement against the each of the children had actually been paid by me (cash receipt/ ECS/ Counter foil of the bank credit vouchers to be attached with the initial claim).

3. प्रमाणित किया जाता है कि / Certified that

(i) मेरी पत्नी काम नहीं कर रही है / My wife is not working.

4. प्रमाणित किया जाता है कि इस दावे की अवधि के दौरान, बच्चे नियमित रूप से स्कूल गए और एक महीने से अधिक की अवधि के लिए उचित अवकाश के बिना स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहे।

Certified that during the period covered by this claim, the children attended the school regularly and did not absent themselves school without proper leave for a period of exceeding one month.

5. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे बच्चे जिनके संबंध में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, वे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं (केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ प्रशासन/ नगर निगम/ नगर समिति/ पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं)।

Certified that my children in respect of whom reimbursement of Tuition fee is claimed are studying in the schools which are recognised schools (Not applicable to schools runs by Central Government/ State Government/ Union Territory/ Administration/ Municipal Corporation/ Municipal Committee/ Panchayat Samiti/ Zila Parishad)

6. ऊपर दिए गए विवरण में मेरे परिवर्तन की स्थिति में, जो शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, को वापस करने का वचन देता हूँ।

In the event of my change in the particulars above which affect my eligibility for reimbursement of Tuition fees, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payment, if any, made.

तिथि / Dated

सरकारी कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पद \_\_\_\_\_

प्राधीकार से कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

आदेश सं. ए-27102/02/2017-स्था.(ए.एल.)16 अगस्त 2017  
(यह आदेश 01 जुलाई 2017 से लागू होगा)

संस्थान /विद्यालय के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र  
(संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए)

संदर्भ सं.....

दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मास्टर/कुमारी.....प्रवेश  
क्रमांक.....जन्मतिथि.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....  
कक्षा..... अनुभाग .....अनुक्रमांक..... विगत शैक्षिक वर्ष 20..  
से 20.... के दौरान विद्यालय/संस्थान, नामतः ..... संबंधन पंजीकरण  
क्रमांक/ कोड..... तथा पैटर्न / स्वरूप ..... पाठ्यक्रम में पढ़ रहा था।

स्थान:-

तिथि:-

प्राध्यापक के हस्ताक्षर  
(अनुलग्न विद्यालय मोहर)